Seventeenth Series, Vol. XXIII No. 20

Monday, March 27, 2023
Chaitra 06, 1945 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Eleventh Session

(Seventeenth Lok Sabha)

(Vol. XXIII contains Nos.11 to 20)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Vinay Kumar Mohan

Joint Secretary

Jai Mukesh Shukla

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Thapliyal

Joint Director

Meenakshi Rawat

Kamala Subramanian

Editor

© 2023 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XXIII, Eleventh Session, 2023/1945 (Saka)
No. 20, Monday, March 27, 2023/ Chaitra 06, 1945 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 361 to 380	9-79
Unstarred Question Nos. 4141 to 4370	80-736

PAPERS LAID ON THE TABLE 737-757

MESSAGES FROM RAJYA SABHA
AND
BILL AS AMENDED BY RAJYA SABHA 758-760

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE
10th Report 761

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE
106th to 117th Reports 761

COMMITTEE ON WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES
19th Report 762

STATEMENT CORRECTING REPLY TO STARRED QUESTION NO. 57 DATED 09.12.2022 REGARDING ESTABLISHMENT OF NATIONAL INSTITUTE OF MEDICINAL PLANTS ALONGWITH REASONS FOR DELAY 763-775

MATTERS UNDER RULE 377 776-795

(i) Need to amend the guidelines of the Jal Jeevan Mission
Dr. Heena Vijaykumar Gavit 776-777

(ii) Need to extend benefits of Ayushman Bharat Yojana to families with annual income upto Rs. 1,80,000
Shri Sanjay Bhatia 778

(iii) Need to provide environmental clearance for setting up an airport at Dhalbumgarh in Jharkhand
Shri Bidyut Baran Mahato 779-780

(iv) Need to launch and promote horticulture projects and activities in Mahasamund district, Chhattisgarh
Shri Chunnilal Sahu 781

(v) Need to resume the services of train Nos. 54039-54040
Shri Nayab Singh Saini 782

(vi) Need to implement strong and compulsory FOPL regulations with warning labels
Dr. Sanghamitra Maurya 783

(vii) Regarding renovation and conservation of 'Satras' and 'Namghars', the institutions of preachings set up by the great reformer of Assam, Sri Sankar Deva
Shrimati Queen Oja 784

(viii) Regarding depleting green cover in Gumla and Lohardaga districts of Jharkhand due to illegal felling of trees
Shri Sudarshan Bhagat 785

(ix) Regarding framing of a menstrual leave policy for working women and female students
Shrimati Sangeeta Kumari Singh Deo 786

(x) Need to reopen the Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Kendras in Chhattisgarh
Shri Sunil Kumar Soni 787

(xi) Need to establish a Super Specialty Hospital and a Hospital for women in Sidhi district headquarters
Shrimati Riti Pathak 788

(xii) Need to expand health care facilities in RIMS, Ranchi and upgrade it to AIIMS

Shri Sanjay Seth 789

(xiii) Need to restore free ration given to poor people in the country

Shri Jasbir Singh Gill 790

(xiv) Regarding grant of a minimum pension amount to Gramin Dak Sevaks

Shri Su. Thirunavukkarasar 790

(xv) Regarding inclusion of pilgrim centres of Kerala in the PRASAD Scheme

Shri Benny Behanan 791

(xvi) Regarding development of river ghats on the bank of Ganga river

Shri Sunil Kumar Mondal 792

(xvii) Need to run trains from Supaul district, Bihar to Patna and Delhi and also start train service from Lalitgram to Forbesganj in the State

Shri Dileshwar Kamait 793

(xviii) Need to resolve the problem of water logging in Khagaria Parliamentary Constituency caused by floods in Kosi and other rivers

Choudhary Mehboob Ali Kaiser 794

(xix) Regarding development of certain villages under Sansad Adarsh Gram Yojana Scheme in Ramananthapuram

Shri K. Navaskani 795

FINANCE BILL, 2023 796-798

Amendment made by Rajya Sabha

Motion to Consider 796

Shrimati Nirmala Sitharaman 796, 798

Amendment Agreed to 798

***ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions 781

Member-wise Index to Unstarred Questions 782-788

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions 789

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 790

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, March 27, 2023/ Chaitra 06, 1945 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं सदन को गरिमा से चलाना चाहता हूँ।

… (व्यवधान)

11.0½ hrs

At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Shri T. N. Prathapan, Shri B. Manickam Tagore and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (व्यवधान)

_____

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 361 to 380
Unstarred Question Nos. 4141 to 4370)
(Page No. 9 to 736)

माननीय अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

11.01 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Sixteen of the Clock.

———

*Available in Master copy of Debate, placed in Library.

16.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Sixteen of the Clock.

(Shrimati Rama Devi *in the Chair*)

… (व्यवधान)

16.0½ hrs

At this stage, Shri T. N. Prathapan, Dr. Kalanidhi Veeraswamy and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति नहीं दी है।

… (व्यवधान)

16.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 2 – श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदया, श्री राव इंद्रजीत सिंह जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9313/17/23]

(3) (एक) विनिधानकर्त्ता शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विनिधानकर्त्ता शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) विनिधानकर्त्ता शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9314/17/23]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदया, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग

अधिनियम, 2021 की धारा 25 की उप-धारा (3) के तहत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और सदस्य-सचिव की नियुक्ति, वेतन, भत्ते तथा सेवा के निबंधन और अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2023 जो 21 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 114(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (पदेन सदस्य के अलावा अध्यक्ष या सदस्य को हटाने की रीति) नियम, 2023 जो 21 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 115(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (आयोग के अन्य सहयोजित सदस्य) नियम, 2023 जो 21 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 116(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (उप-समितियों के पदेन सदस्य के अलावा, सदस्य को संदेय भत्ता) नियम, 2023 जो 21 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 117(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9315/17/23]

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 4027(अ) जो 14 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क और पनपथा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 4031(अ) जो 14 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा घाटीगांव हुकना वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ. 4029(अ) जो 14 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ. 4030(अ) जो 14 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सोन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का.आ. 2538(अ) जो 9 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(छह) का.आ. 2605(अ) जो 11 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा रातापानी और सिंघोरी वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(सात) का.आ. 2811(अ) जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा संजय राष्ट्रीय पार्क और संजय दुबरी वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(आठ) का.आ. 3027(अ) जो 13 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा माधव राष्ट्रीय पार्क पर्यावरण-

संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(नौ) का.आ. 3028(अ) जो 13 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बागदरा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(दस) का.आ. 2669(अ) जो 17 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा डायनासोर राष्ट्रीय पार्क पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(ग्यारह) का.आ. 3064(अ) जो 18 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा घुघुआ फॉसिल राष्ट्रीय पार्क पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(बारह) का.आ. 3063(अ) जो 18 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा करेरा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(तेरह) का.आ. 3082(अ) जो 21 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(चौदह) का.आ. 3133(अ) जो 27 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(पंद्रह) का.आ. 3777(अ) जो 30 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वन विहार नेशनल पार्क अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(सोलह) का.आ. 35(अ) जो 3 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुआ था तथा जिसके द्वारा ओरछा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(सत्रह) का.आ. 1902(अ) जो 14 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खिओनी वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(अठारह) का.आ. 3689(अ) जो 27 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(उन्नीस) का.आ. 4009(अ) जो 6 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पेंच नेशनल पार्क और पेंच मोगली वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(बीस) का.आ. 796(अ) जो 21 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(इक्कीस) का.आ. 2935(अ) जो 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खरमौर (सरदारपुर) अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(बाईस) का.आ. 1198(अ) जो 12 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कान्हा एनपी और फेन अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(तेईस) का.आ. 1192(अ) जो 12 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 अगस्त, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2538(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौबीस) का.आ. 3653(अ) जो 9 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 12 मार्च, 2021 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1198(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पच्चीस) का.आ. 4617(अ) जो 9 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9316/17/23]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9317/17/23]

(3) (एक) सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9318/17/23]

(5) (एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9319/17/23]

(7) (एक) राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9320/17/23]

(9) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9321/17/23]

(11) (एक) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9322/17/23]

(13) (एक) खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9323/17/23]

(15) (एक) केंद्रीय हिमालयी संस्कृति शिक्षण संस्थान, दाहुंग के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय हिमालयी संस्कृति शिक्षण संस्थान, दाहुंग के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9324/17/23]

(17) (एक) केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान, लेह के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान, लेह के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9325/17/23]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 931(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9326/17/23]

(2) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/127 जो 15 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कतिपय शर्तों के अध्यधीन एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड की मान्यता का नवीनीकरण 17 जनवरी, 2023 से एक वर्ष के लिए किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9327/17/23]

(3) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत धन-शोधन (रिकार्ड का रखरखाव) संशोधन नियम, 2023 जो 7 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1074(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9328/17/23]

(4) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ((हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सिक्का निर्माण (इंटरनेशनल इयर ऑफ मिलेट्स, 2023 के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2023 जो दिनांक 15 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 189(अ) में

प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिक्का निर्माण (श्री नंदमूरी तारक रामा राव के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2023 जो दिनांक 20 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 202(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9329/17/23]

(5) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (रेल) (अनुपालन लेखापरीक्षा) (2022 का संख्यांक 35-खंड दो)।

(दो) एकीकृत वस्त्र पार्कों की योजना संबंधी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार-वस्त्र मंत्रालय (अनुपालन लेखापरीक्षा) (2023 का संख्यांक 2)।

(तीन) मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (आर्थिक और सेवा मंत्रालय-सिविल) (अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां) (2023 का संख्यांक 1)।

(चार) मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) सेना और आयुध निर्माणियां (2023 का संख्यांक 6)।

(पांच) वर्ष 2021-2022 के लिए रक्षा सेवाओं के संघ सरकार विनियोग लेखें।

(छह) आयुध निर्माणियों में छोटे हथियारों का निर्माण संबंधी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) आयुध निर्माणियां (2023 का संख्यांक 5) (निष्पादन लेखापरीक्षा)।

[Placed in Library, See No. LT 4330/17/23]

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपुर्णा देवी): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) समग्र शिक्षा, गुजरात स्कूल शिक्षा परिषद, गांधी नगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा, गुजरात स्कूल शिक्षा परिषद, गांधी नगर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9331/17/23]

(3) (एक) समग्र शिक्षा, लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा, लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) समग्र शिक्षा, लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9332/17/23]

(5) (एक) समग्र शिक्षा, जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा, जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9333/17/23]

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9334/17/23]

(3) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9335/17/23]

(5) (एक) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9336/17/23]

(7) (एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा

लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9337/17/23]

(9) (एक) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9338/17/23]

(11) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9339/17/23]

(13) (एक) तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9340/17/23]

(15) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9341/17/23]

(17) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, कुर्नूल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, कुर्नूल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, कुर्नूल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9342/17/23]

(19) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9343/17/23]

(21) (एक) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9344/17/23]

(23) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान, नागपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान, नागपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9345/17/23]

(25) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान, बोध गया के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान, बोध गया के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9346/17/23]

(27) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9347/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. BHAGWAT KARAD): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Industrial Investment Bank of India Limited (Voluntary winding up of IIBI to the Equity shareholders of IIBI), Kolkata, for the quarter ended 31.12.2022

(ii) Liquidator's Report on the Industrial Investment Bank of India Limited (Voluntary winding up of IIBI to the Equity shareholders of IIBI), Kolkata, for the quarter ended 31.12.2022, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 9348/17/23]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 19 of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970:-

(i) The Punjab National Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Amendment Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. PNB/HRD/DAC/D&A/2022-23 in Gazette of India dated 21st February, 2023.

(ii) The Indian bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. IB/G-9/1/2022-23(E) in Gazette of India dated 1st March, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 9349/17/23]

———

16.03 hrs

MESSAGES FROM RAJYA SABHA AND BILL AS AMENDED BY RAJYA SABHA*

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

(i) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Jammu and Kashmir Appropriation (No. 2) Bill, 2023, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 21st March, 2023 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

(ii) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Jammu and Kashmir Appropriation Bill, 2023, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 21st March, 2023 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

* Laid on the Table

(iii) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (No. 2) Bill, 2023, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 21st March, 2023 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill.

(iv) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation Bill, 2023, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 23rd March, 2023 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

(v) In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Finance Bill, 2023, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 24th March, 2023 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations on the same day and to state that the Rajya Sabha at its sitting held on the 27th March, 2023, recommended that the following amendment be made in the said Bill:-

CLAUSE 174

1. That at page 67, *for* lines 43 and 44, the following be *substituted*, namely:-

   "(i) against entry (a), in column (3), for the figures and words "0.05 per cent.", the figures and words "0.0625 per cent." shall be substituted; and".

   I am, therefore, to return herewith the said Bill in accordance with the provisions of rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha with the request that the concurrence of the Lok Sabha to the said amendment be communicated to this House."

2. Sir, I lay on the Table the Finance Bill, 2023, returned with amendment recommended by Rajya Sabha.

———————

16.03½ hrs

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

10th Report

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): महोदया, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———————

16.04 hrs

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

106th to117th Reports

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): महोदया, मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023) का 106वें से 117वें प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को प्रस्तुत करता हूं।

———————

16.04½ hrs

COMMITTEE ON WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES

19th Report

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): महोदया, मैं 'श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में नियोजन में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का 19वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———

16.05 hrs

STATEMENT CORRECTING REPLY TO STARRED QUESTION NO. 57 DATED 09.12.2022 REGARDING ESTABLISHMENT OF NATIONAL INSTITUTE OF MEDICINAL PLANTS ALONGWITH REASONS FOR DELAY*

THE MINISTER OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS AND MINISTER OF AYUSH (SHRI SARBANANDA SONOWAL): I beg to lay Statements (Hindi and English versions) (i) correcting the reply to Starred Question No. 57 given on 9th December, 2022 asked by Shri Vinayak Bhaurao Raut regarding 'Establishment of National Institute of Medicinal Plants' and (ii) giving reasons for delay in correcting the reply. … (*Interruptions*)

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9312/17/23

12/4/23

AUTHENTICATED

(SARBANANDA SONOWAL)

Ministry of Ayush

STATEMENT TO BE MADE BY THE MINISTER OF AYUSH CORRECTING THE STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (b) TO (d) OF LOK SABHA STARRED QUESTION NO. *57 RAISED BY SHRI VINAYAK RAUT HON'BLE MEMBER OF PARLIAMENT ANSWERED ON 09/12/2022 REGARDING ESTABLISHMENT OF NATIONAL INSTITUTE OF MEDICINAL PLANTS.

I beg to make a statement to correct the reply to parts (b) to (d) of Lok Sabha Starred Question No. *57 raised by Shri Vinayak Raut, Hon'ble Member of Parliament answered on 09/12/2022.

Question	Previous reply	Revised reply
(b) if so, whether the proposal of the State Government for establishing the said Central project is still pending for approval with the Ministry of AYUSH; (c)if so, the details thercof and the reasons for delay in granting necessary approval for this project; and (d) the time by which the approval for establishment of the National Institute is likely to be granted?	(b) to (d): The National Institute of Medicinal Plants (NIMP) is proposed as new Autonomous Body under Ministry of Ayush and the step-by-step process of setting up of new Institute as an Autonomous Body are as under: i. To seek "in principle" approval of Department of Expenditure ii. To have a DPR prepared iii. To seek approval of Committee on Establishment Expenditure iv. To seek approval of EFC headed by Secretary Finance v. To seek approval of Cabinet Accordingly, the Ministry of Ayush has forwarded the proposal to Department of Expenditure on 1st December, 2022 for seeking "in-principle" approval for setting up of proposed National Institute of Medicinal Plants (NIMP).	(b) to (d): The National Institute of Medicinal Plants (NIMP) is proposed as new Autonomous Body under Ministry of Ayush and the step-by-step process of setting up of new Institute as an Autonomous Body are as under: i. To seek "in principle" approval of Department of Expenditure ii. To have a DPR prepared iii. To seek approval of Committee on Establishment Expenditure iv. To seek approval of EFC headed by Secretary Finance v. To seek approval of Cabinet The proposal is under process.

The correcting statement may be brought to the notice of House.

AUTHENTICATED

(SARBANANDA SONOWAL)

Ministry of Ayush

REASON FOR DELAY IN SUBMITTING CORRECTING STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (b) TO (d) OF LOK SABHA STARRED QUESTION NO. *57 RAISED BY SHRI VINAYAK RAUT HON'BLE MEMBER OF PARLIAMENT ANSWERED ON 09/12/2022 REGARDING ESTABLISHMENT OF NATIONAL INSTITUTE OF MEDICINAL PLANTS.

This error came to our notice towards the end of the 10th Session of current Lok Sabha. As such, the correcting statement is being made now.

अधिप्रमाणित

(सर्बानंद सोणोवाल)

आयुष मंत्रालय

राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान (एनआईएमपी) की स्थापना करने के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री विनायक राऊत द्वारा लोक सभा में 09 दिसम्बर, 2022 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 57 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर के संदर्भित विवरण को ठीक करने हेतु आयुष मंत्रालय द्वारा विवरण दिया जाना

मैं, माननीय संसद सदस्य श्री विनायक राऊत द्वारा लोक सभा में 09 दिसम्बर, 2022 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 57 के उत्तर के भाग (ख) से (घ) में ठीक विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत कर रहा हूं :

प्रश्न	पूर्व उत्तर	संशोधित उत्तर
(ख) यदि हां, तो क्या उक्त केन्द्रीय परियोजना की स्थापना के लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव अभी भी आयुष मंत्रालय के पास अनुमोदन हेतु लंबित है; (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के लिए आवश्यक अनुमोदन प्रदान करने में देरी के क्या कारण हैं; और (घ) इस राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना के लिए अनुमोदन कब तक दिए जाने की संभावना है?	(ख) से (घ): आयुष मंत्रालय के अंतर्गत नए स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान (एनआईएमपी) प्रस्तावित है और स्वायत्त निकाय के रूप में नए संस्थान की स्थापना की चरण-दर-चरण प्रक्रिया निम्नलिखित है: i. व्यय विभाग से "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्राप्त करना ii. डीपीआर तैयार करना iii. स्थापना व्यय संबंधी समिति का अनुमोदन प्राप्त करना iv. सचिव वित्त की अध्यक्षता में ईएफसी का अनुमोदन प्राप्त करना v. मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करना तदनुसार, प्रस्तावित राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान (एनआईएमपी) की स्थापना करने हेतु "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आयुष मंत्रालय ने 01 दिसंबर, 2022 को व्यय विभाग को प्रस्ताव अग्रेषित कर दिया है।	(ख) से (घ): आयुष मंत्रालय के अंतर्गत नए स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान (एनआईएमपी) प्रस्तावित है और स्वायत्त निकाय के रूप में नए संस्थान की स्थापना की चरण-दर-चरण प्रक्रिया निम्नलिखित है: i. व्यय विभाग से "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्राप्त करना ii. डीपीआर तैयार करना iii. स्थापना व्यय संबंधी समिति का अनुमोदन प्राप्त करना iv. सचिव वित्त की अध्यक्षता में ईएफसी का अनुमोदन प्राप्त करना v. मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करना यह प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

सदन के ध्यान में ठीक विवरण लाया जाए।

अधिप्रमाणित

(सर्बानंद सोणोवाल)

आयुष मंत्रालय

राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान (एनआईएमपी) की स्थापना करने के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री विनायक राऊत द्वारा लोक सभा में 09 दिसम्बर, 2022 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 57* के भाग (ख) से (घ) के उत्तर के संदर्भित विवरण को सुधार करके प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण

यह त्रुटि वर्तमान लोक सभा के 10वें सत्र के अंत में हमारे ध्यान आयी थी। ऐसे में, अब सुधारात्मक विवरण दिया जा रहा है।

REVISED

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF AYUSH

LOK SABHA
STARRED QUESTION NO. *57
TO BE ANSWERED ON 09th DECEMBER, 2022

ESTABLISHMENT OF NATIONAL INSTITUTE OF MEDICINAL PLANTS

*57 SHRI VINAYAK RAUT:

Will the Minister of AYUSH be pleased to state:

(a) whether the State Government of Maharashtra has submitted a proposal to the Ministry of AYUSH for establishment of a National Institute of Medicinal Plants at Mauje Adali in Sindhudurg District;

(b) if so, whether the proposal of the State Government for establishing the said Central project is still pending for approval with the Ministry of AYUSH;

(c) if so, the details thereof and the reasons for delay in granting necessary approval for this project; and

(d) the time by which the approval for establishment of the National Institute is likely to be granted?

ANSWER

THE MINISTER OF AYUSH

(SHRI SARBANANDA SONOWAL)

(a) to (d): A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO LOK SABHA STARRED QUESTION NO. *57 FOR 9TH DECEMBER, 2022

****

(a): Yes, Sir. There is a proposal for establishment of National Institute of Medicinal Plants under Ministry of Ayush. In this regard, the State Government of Maharashtra has proposed for setting up of National Institute of Medicinal Plants (NIMP) at Mauje Adali in Sindhudurg District of Maharashtra.

(b) to (d): The National Institute of Medicinal Plants (NIMP) is proposed as new Autonomous Body under Ministry of Ayush and the step-by-step process of setting up of new Institute as an Autonomous Body are as under:

i. To seek "in principle" approval of Department of Expenditure
ii. To have a DPR prepared
iii. To seek approval of Committee on Establishment Expenditure
iv. To seek approval of EFC headed by Secretary Finance
v. To seek approval of Cabinet

The proposal is under process.

*****

संशोधित

भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. - 57*

09 दिसम्बर, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान की स्थापना

*57. श्री विनायक भाऊराव राऊत:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने आयुष मंत्रालय को सिंधुदुर्ग जिले के मौजे अदाली में एक राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त केन्द्रीय परियोजना की स्थापना के लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव अभी भी आयुष मंत्रालय के पास अनुमोदन हेतु लंबित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के लिए आवश्यक अनुमोदन प्रदान करने में देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) इस राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना के लिए अनुमोदन कब तक दिए जाने की संभावना है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

लोक सभा में 09 दिसम्बर, 2022 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 57* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): जी हां। आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव है। इस संबंध में, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के मौजे अदाली में राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान (एनआईएमपी) की स्थापना करने का प्रस्ताव दिया है।

(ख) से (घ): आयुष मंत्रालय के अंतर्गत नए स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान (एनआईएमपी) प्रस्तावित है और स्वायत्त निकाय के रूप में नए संस्थान की स्थापना की चरण-दर-चरण प्रक्रिया निम्नलिखित है:

i. व्यय विभाग से "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्राप्त करना
ii. डीपीआर तैयार करना
iii. स्थापना व्यय संबंधी समिति का अनुमोदन प्राप्त करना
iv. सचिव वित्त की अध्यक्षता में ईएफसी का अनुमोदन प्राप्त करना
v. मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करना

प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

*****

ORIGINAL 763
REPLY

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF AYUSH

LOK SABHA
STARRED QUESTION NO. *57
TO BE ANSWERED ON 09th DECEMBER, 2022

ESTABLISHMENT OF NATIONAL INSTITUTE OF MEDICINAL PLANTS

*57 SHRI VINAYAK Bhaurao RAUT:

Will the Minister of AYUSH be pleased to state:

(a) whether the State Government of Maharashtra has submitted a proposal to the Ministry of AYUSH for establishment of a National Institute of Medicinal Plants at Mauje Adali in Sindhudurg District;

(b) if so, whether the proposal of the State Government for establishing the said Central project is still pending for approval with the Ministry of AYUSH;

(c) if so, the details thereof and the reasons for delay in granting necessary approval for this project; and

(d) the time by which the approval for establishment of the National Institute is likely to be granted?

ANSWER

THE MINISTER OF AYUSH

(SHRI SARBANANDA SONOWAL)

(a) to (d): A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO LOK SABHA STARRED QUESTION NO. *57 FOR 9TH DECEMBER, 2022

****

(a): Yes, Sir. There is a proposal for establishment of National Institute of Medicinal Plants under Ministry of Ayush. In this regard, the State Government of Maharashtra has proposed for setting up of National Institute of Medicinal Plants (NIMP) at Mauje Adali in Sindhudurg District of Maharashtra.

(b) to (d): The National Institute of Medicinal Plants (NIMP) is proposed as new Autonomous Body under Ministry of Ayush and the step-by-step process of setting up of new Institute as an Autonomous Body are as under:

i. To seek "in principle" approval of Department of Expenditure
ii. To have a DPR prepared
iii. To seek approval of Committee on Establishment Expenditure
iv. To seek approval of EFC headed by Secretary Finance
v. To seek approval of Cabinet

Accordingly, the Ministry of Ayush has forwarded the proposal to Department of Expenditure on 1st December, 2022 for seeking "in-principle" approval for setting up of proposed National Institute of Medicinal Plants (NIMP).

*****

मूल उत्तर 765

भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. - 57*

09 दिसम्बर, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान की स्थापना

*57. श्री विनायक भाऊराव राऊत:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने आयुष मंत्रालय को सिंधुदुर्ग जिले के मौजे अदाली में एक राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त केन्द्रीय परियोजना की स्थापना के लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव अभी भी आयुष मंत्रालय के पास अनुमोदन हेतु लंबित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के लिए आवश्यक अनुमोदन प्रदान करने में देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) इस राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना के लिए अनुमोदन कब तक दिए जाने की संभावना है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

लोक सभा में 09 दिसम्बर, 2022 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 57* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): जी हां। आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव है। इस संबंध में, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के मौजे अदाली में राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान (एनआईएमपी) की स्थापना करने का प्रस्ताव दिया है।

(ख) से (घ): आयुष मंत्रालय के अंतर्गत नए स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान (एनआईएमपी) प्रस्तावित है और स्वायत्त निकाय के रूप में नए संस्थान की स्थापना की चरण-दर-चरण प्रक्रिया निम्नलिखित है:

i. व्यय विभाग से "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्राप्त करना
ii. डीपीआर तैयार करना
iii. स्थापना व्यय संबंधी समिति का अनुमोदन प्राप्त करना
iv. सचिव वित्त की अध्यक्षता में ईएफसी का अनुमोदन प्राप्त करना
v. मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करना

तदनुसार, प्रस्तावित राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान (एनआईएमपी) की स्थापना करने हेतु "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आयुष मंत्रालय ने 01 दिसंबर, 2022 को व्यय विभाग को प्रस्ताव अग्रेषित कर दिया है।

*****

16.06 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति : जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

… (व्यवधान)

(i) Need to amend the guidelines of the Jal Jeevan Mission

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): The Government of India is committed to the development of every section of the society and in furtherance of the same it is implementing Centrally Sponsored and Central Sector Schemes. However, the guidelines of several schemes provides for contribution by villagers or the residents of the region where the scheme is being implemented in the name of maintenance charges which include electricity bill for water supply etc. A case in point is the provision of community contribution towards the capital cost of water supply infrastructure and related source development under Jal Jeevan Mission wherein residents of a village have to contribute 10 percent of capital cost to the concerned Gram Panchayat. This creates an additional financial burden on villagers who are not financially sound. There have been instances of disparity between selected villages in a region in terms of compliance while paying maintenance charges. Hence, I request the Government to amend the guidelines of Jal Jeevan

* Treated as laid on the Table.

Mission and other schemes to waive off charges in the name of maintenance or capital cost to be borne by villagers. In order to ensure effective and time bound implementation of water supply projects, regional water supply schemes should be changed to individual village schemes.

(ii) Need to extend benefits of Ayushman Bharat Yojana to families with annual income upto Rs.1,80,000

श्री संजय भाटिया (करनाल): केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी परिवारों का चयन आर्थिक, सामाजिक व जातीय जनगणना-2011 के आधार पर किया गया है। इसके अनुसार हरियाणा में 15 लाख 51,798 परिवार आयुष्मान योजना में चिह्नित हुए थे लेकिन इनमें से सिर्फ 9 लाख का डाटा वेरिफाई हो पाया था और इन्हीं 9 लाख परिवारों को योजना का लाभ मिल रहा था लेकिन अब राज्य सरकार के खर्च पर योजना का दायरा बढ़ाया गया और पी.पी.पी. के डाटा के आधार पर आयुष्मान योजना से प्रदेश में अब 28 लाख 89,036 परिवार कवर हो रहे हैं। यानि पहले जहां करीब 9 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा था वहीं अब करीब 20 लाख और परिवार इसमें जोड़े गए हैं। तो कुल मिलाकर लगभग उन्नतीस लाख लोगों को योजना का लाभ मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी व माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि बीपीएल के अलावा उन लोगों को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधा मिले जिनकी वार्षिक आय 180000 रूपये या इससे कम है।

(iii) Need to provide environmental clearance for setting up an airport at Dhalbumgarh in Jharkhand

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर टाटा जो औद्योगिक घराने के नाम से मशहूर है तथा टाटा जैसे बड़े उद्यमी स्थापित हैं । एमएसएमई का एक बड़ा सेक्टर भी आदित्यपुर में है और एमएसएमई एवं ऑटोमोबाइल सेक्टर में छोटे-बड़े उद्योगों को मिलाकर लगभग दो हजार उद्योग स्थापित हैं तथा यहाँ माइंस का भी बहुत बड़ा क्षेत्र है । इसलिए केंद्र सरकार ने यहां पर स्थित धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की थी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए लगभग सौ करोड़ रुपये आवंटित भी किये है। उक्त एयरपोर्ट की स्वीकृति के बाद जनवरी 2019 में भारत सरकार के द्वारा भूमि पूजन कर शिलान्यास किया गया था। परंतु उक्त एयरपोर्ट का अभी तक वन विभाग के द्वारा एनओसी न मिलने के कारण काम शुरू नहीं हो सका है। उक्त मामले को मैंने दिनांक 7 फरवरी 2023 को लोकसभा में नियम 377 के तहत उठाया था, जिसका जवाब माननीय राज्यमंत्री नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार, जनरल डॉ० वी०के० सिंह जी का पत्र के माध्यम से दिनांक 28 फरवरी 2023 प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र में कहा गया है पर्यावरण मूल्यांकन समिति ने देखा कि प्रस्तावित स्थल जंगलों में पड़ता है जो बड़ी संख्या में हाथियों का निवास स्थान है और 'हाथी गलियारे' के रूप में जाना जाता है। दिनांक 25.9.2020 की बैठक में यह निष्कर्ष निकाला कि प्रस्तावित स्थल हवाईअड्डे के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है तथा समिति वर्तमान स्थल चयन से सहमत नहीं थी और परियोजना के प्रस्ताव को एक वैकल्पिक स्थल का पता लगाने के लिए कहा गया है।

उपरोक्त जवाब से मुझे घोर निराशा हुई है क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि आज तक एक भी हाथी को यहां के लोगों ने देखा नहीं है तो हाथियों का गलियारा कहां से हो जाएगा। अब पता नहीं कौन सी चयन समिति है कब वह गई स्थल निरीक्षण करने इसका भी स्थानीय सांसद होने के नाते मुझे कभी जानकारी नहीं मिली। पूर्व में उक्त स्थान पर वन विभाग के सीसीएफ तीन डीएफओ ने कहा था कोई दिक्कत नहीं है उस वक्त एयरपोर्ट अथॉरिटी के पदाधिकारी भी वहां

उपस्थित थे। उक्त स्थान के 500 मीटर की दूरी पर NH एवं 100 मीटर की दूरी पर रेलवे लाइन है। पूर्व में भी वन विभाग एवं एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों द्वारा कम से कम 10 बार उक्त स्थल का निरीक्षण किया था और कहा गया था कि जंगली बांसो का झुंड है जिसे हटा लिया जाएगा।

अतः मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार से वार्ता करके वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण निर्गत कराते हुए धालभूमगढ़ एयरपोर्ट निर्माण की कार्य को प्रारंभ किया जाय, ताकि यहां पर एयरपोर्ट बन जाने से केवल झारखण्ड ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल के खड़गपुर, मिदनापुर, झाड़ग्राम, पुरूलिया और ओडिशा के बारिपदा, मयूरभंज और बालेश्वर भी जमशेदपुर जैसे बड़े शहर से जुड़ जाएंगे।

(iv) Need to launch and promote horticulture projects and activities in Mahasamund district, Chhattisgarh

श्री चुन्नीलाल साहू (महासमुन्द): छतीसगढ़ राज्य के मेरे संसदीय क्षेत्र महासमुंद जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, प्रधानमंत्री आकांक्षी जिलों में से एक है। यहाँ की भूमि मृदा, रेतीली और कठोर है, जिसमे खरीफ की फसल भी पर्याप्त मात्रा मे नहीं होती इस क्षेत्र मे सदैव अल्पवर्षा एवं अकाल की स्थिति बनी रहती है जिससे यहाँ के मध्यम और छोटे कृषकों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। ऐसी स्थिति में आजीविका के लिए अन्य प्रदेशों में पलायन करना विवश होना है। इसीलिए फसल चक्र परिवर्तन की दिशा मे कृषि कार्य के लिए उद्यानिकी (बागवानी) उपयुक्त होगा जिसके लिए मेरे द्वारा पिछले वित्त वर्ष में विभागीय पत्राचार भी किया गया है। तत्पश्चात मुझे पत्र के माध्यम से सितंबर 2022 तक सम्मिलित होने आश्वस्त किया गया लेकिन वित्तीय बजट 2023-24 पर्यंत तक शामिल नहीं किया गया। अगर सरकार शीघ्र इस दिशा में कदम उठाती है तो निश्चित ही किसान मुख्यधारा से जुड़कर अपनी आर्थिक दशा कों सुधार सकते है, जो अति आवश्यक भी है।

अतः कृषि मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि घोषित प्रधानमंत्री आकांक्षी जिला महासमुंद के उपरोक्त विषय को संज्ञान मे लेकर विभाग को शीघ्रातिशीघ्र निर्देशित करने की महान कृपा करें।

(v) Need to resume the services of train Nos. 54039-54040

श्री नायब सिंह सैनी (कुरुक्षेत्र): मैं माननीय रेलमंत्री जी का ध्यान अपनी लोकसभा कुरुक्षेत्र के एक महत्पूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ, निवेदन है कि कोरोना से पहले अर्थात् 2019 तक कुरूक्षेत्र से नरवाना साईड वाया कैथल 6 गाडियां तथा नरवाना साइड से वाया कैथल 16 गाड़ियां चलती थी उसके बाद लगभग सभी गाडियां बंद कर दी गई थी। उसके बाद अब दोबारा भारतीय रेलवे द्वारा 10 गाडियां का आना-जाना शुरू करवाया है जिसमें सबसे जरूरी गाडी नं0 54039-54040 को अब तक नहीं चलाया गया है जबकि यह गाडी बहुत जरूरी थी क्योंकि कुरुक्षेत्र से नरवाना साइड कैथल सुबह 9 बजे तथा इसके बाद रात को 7-30 बजे आती है। इस प्रकार नरवाना से सुबह 10 बजे तक तथा इसके बाद रात को 7 बजे आती है इस प्रकार दोनों साईड की गाड़ियों के लिए 9 से 10 घंटे तक सवारियो को इंतजार करना पड़ता है। अतः मेरा माननीय रेलमंत्री से अनुरोध है कि गाडी नं0 54039-54040 की जरूरत को देखते हुए इस गाड़ी को सवारियों की भलाई के लिए व जनता की मांग को करें। देखते हुए इस गाडी को जल्द से जल्द चलवाने की कृपा करें।

(vi) Need to implement strong and compulsory FOPL regulations with warning labels

डॉ. संघमित्रा मौर्य (बदायूं): भारत पोषण संबंधी विरोधाभासों से भरा देश है जहां कुपोषण के दोहरे बोझ के विशिष्ट मामलों के रूप में अल्प पोषण और मोटापा दोनों साथ साथ मौजूद है भारत में 5 वर्ष से कम आयु के एक तिहाई से अधिक बच्चे नाटे और कम वजन के हैं दूसरी ओर बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है और लगभग 3.4 मिलियन बच्चे या तो सामान्य से अधिक वजन वाले हैं या फिर मोटापे के शिकार है यह पिछले 5 वर्षों से 50% से अधिक की वृद्धि है औसतन 15% भारतीय बच्चे किसी ना किसी प्रकार के मोटापे का सामना कर रहे हैं । भारत में 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे की जितनी मृत्यु दर है उनमें से लगभग आधे की मौत का कारण कुपोषण है। वैश्विक अनुमान के अनुसार लगभग 2.3 बिलियन बच्चे और वयस्क सामान्य से अधिक वजन वाले हैं। अधिक मात्रा में शर्करा सोडियम, संतृप्त वसा, और परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट युक्त अति संसाधित खाद्य पदार्थों की बढ़ती उपलब्धता मोटापे की महामारी का प्रमुख कारण है। CSE द्वारा किये गए अध्ययन में 33 लोकप्रिय जंकफूड्स के नमूनों को शामिल किया गया था तथा इनमें नमक, फैट, ट्रांसफैट एवं कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा की जाँच की गई। इन खाद्य पदार्थों की उपयुक्तता की जाँच हेतु CSE ने अनुशंसित आहार भत्ता (Recommended Dietary Allowance-RDA) को आधार माना। एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लिये जाने वाले आहार में पोषकों की औसत मात्रा को RDA कहा जाता है। भारत में RDA की मात्रा का निर्धारण विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation) तथा राष्ट्रीय पोषण संस्थान (National Institute of Nutrition-NIN) द्वारा किया जाता है। मैं सरकार से युवाओं और बच्चों के स्वस्थ्य भविष्य के लिए इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग (स्टार द्वारा) के बजाय चेतावनी लेबल सहित मजबूत व अनिवार्य एफओपीएल नियामक के लाने के आग्रह करती हूँ। जिससे लोगों को पैक्ड फूड के पोषण की पूरी जानकारी के साथ अधिक नमक चीनी और वसा की जानकारी मिल सके।

(vii) Regarding renovation and conservation of 'Satras' and Namghars', the institutions of preachings set up by the great reformer of Assam, Sri Sankar Deva

श्रीमती क्वीन ओझा (गौहाटी): मैं असम के सत्र नामघरों के विषय की वर्तमान स्थिति के बारे मे आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि श्री शंकर देव ने 550 साल पूर्व में समाजिक, सांस्कतिक, और आध्यात्म के क्षेत्र एक नवजागरण की शुरूआत की। उनके द्वारा प्रतिष्टित नामघर और सत्र समूह असम की सभ्यता स्वरूप है। आज इन सत्र नामधरों की जमीन पर घुसपैठियों ने कब्जा कर रखा है, यह हमारे लिए एक चिंता का विषय है। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री जी के सबल नेतृत्व मे घुसपैठियों के कब्जे से उन जमीनों को मुक्त कराया है व उनके जीर्णोद्वार मे अहम भूमिका निभाई है।

असम के हर जिले में जितने भी नामघर है उन्हें भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंर्तगत सरंक्षित नही किया गया है। उनका पुर्ननिर्माण व संरक्षण करने व भारत सरकार को अधिक अनुदान देने हेतु मैं अनुरोध करती हूॅ व आशा करती हूँ कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिन्होने नार्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी माना है, उनके आर्शीवाद से इस अमृत युग मे ये शुभकार्य जरूर संपन्न होगा और सरकार की सकारात्मक पहल से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित करके इनका पुर्ननिर्माण कराया जाऐगा।

(viii) Regarding depleting green cover in Gumla and Lohardaga districts of Jharkhand due to illegal felling of trees

श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा): मैं सरकार का ध्यान झारखण्ड राज्य में लगातार हो रही वनों की अवैध कटाई से उत्पन्न स्थिति की ओर आकर्षित करता हूँ। झारखण्ड राज्य अपने समृद्ध वन सम्पदा के लिए जाना जाता है। घने वन और वन आधारित जीवनशैली यहाँ की पहचान है और यहाँ की अर्थव्यवस्था की धुरी भी है। घने वन झारखण्ड को देश के सभी राज्यों से अलग पहचान बनाते हैं। वनों के संरक्षण हेतु राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा अनेकों नियम भी बनाये गए हैं। वनों के संवर्धन हेतु अब समाज भी जागरूक हुआ है । किन्तु पिछले कुछ दिनों से झारखण्ड राज्य, विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र के लोहरदगा जिले के पेशरार प्रखंड एवं आसपास के प्रखंडों में बड़े पैमाने पर वनों की अवैध कटाई की जा रही है। जनसंपर्क के समय स्थानीय लोगों द्वारा एवं आये दिन समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती रहती है। स्थानीय प्रशासन भी मूकदर्शक बना रहता है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार भी उदासीन है। यही स्थिति गुमला जिले में भी हैं। झारखण्ड में वनों की अवैध कटाई का मामला अत्यंत गंभीर होता जा रहा है। इसीलिए यह मुद्दा सदन में उठाना चाहता हूँ, जिससे कि झारखण्ड के गुमला, लोहरदगा जिले में चल रही वनों की अवैध कटाई बंद हो सके । वनों को अवैध रूप से कटाई करने वालों एवं इससे जुड़े अवैध व्यवसायियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जा सके। सरकार से विनम्र अनुरोध है कि कृपया लोहरदगा एवं गुमला जिले में गत 5 वर्षों में लगातार घटते वनों का पुनः सर्वेक्षण करवाने का कष्ट करें। साथ घटते वन क्षेत्रों के कारण और अवैध कटाई की जाँच हेतु केंद्रीय जाँच टीम भेज कर इसकी गहन समीक्षा एवं सर्वेक्षण करवाने का कष्ट करें एवं राज्य सरकार को यथायोग्य दिशानिर्देश जारी करें। मैं सरकार से झारखण्ड के वन संरक्षण एवं सघन और समृद्ध वनों के प्रदेश झारखण्ड की पहचान और संस्कृति को बचाने में जनता के हितों का ध्यान रखते हुए, अविलम्ब कार्यवाही करने की कृपा करें।

(ix) Regarding framing of a menstrual leave policy for working women and female students

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Menstruation is a natural biological process which is stigmatised in our societies. Women have been treated as impure and polluting. This is also a reason for the lower rates of access to education for women. A policy of menstrual leave will have a far reaching impact in transforming attitudes towards educating girl children as well. Government of Bihar has already formulated a policy during 1992 allowing women Government employees two days of paid menstrual leave each month. In Kerala, the Government announced menstrual leave for university students in January 2023. The notification provides women students to appear for exams with 73 per cent attendance instead of the 75 per cent.Many countries of world have provision for menstrual leave for women in some or other forms. I request the Hon'ble Minister of Women and Child Development to frame a policy allowing working women and female students to avail paid Menstrual Leave in all workplaces and educational institutions.

(x) Need to reopen the Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Kendras in Chhattisgarh

श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर): मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का कोटि कोटि वंदन करता हूँ कि उन्होंने पूरे भारत वर्ष में आम जनता के स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए लगभग देश के सभी जिलों में भारतीय जन औषधि केन्द्रों की स्थापना की है। जनऔषधि केन्द्रों में लगभग 1700 से अधिक दवाएं एवं 280 सर्जिकल संसाधन उपलब्ध हैं। औषधि केन्द्रों में ब्रांडेड दवाओं के औसत मूल्य से लगभग 80-90 प्रतिशत सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध रहती हैं। इस योजना के माध्यम से पिछले 8 वर्षों के दौरान हमारे देश के नागरिकों की अनुमानित 20 हज़ार करोड़ रूपये की बचत हुई है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि छत्तीसगढ़ में बहुत से शासकीय जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र बंद पड़े हैं। राज्य सरकार द्वारा इन बंद केन्द्रों को पुनः चालू किए जाने हेतु अपेक्षित सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा है, जिससे सस्ती दवाइयों का लाभ राज्य के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अतः माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र का लाभ छत्तीसगढ़ में मिल सके, इस हेतु छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य अमले को आवश्यक दिशा निर्देश आपके द्वारा किया जाये।

(xi) Need to establish a Super Specialty Hospital and a Hospital for women in Sidhi district headquarter

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): मैं अपने संसदीय क्षेत्र सीधी की अति आवश्यक मांग के संबंध में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का नितांत अभाव है क्षेत्र बड़ा होने के कारण हमारे क्षेत्र के लोगों को तत्काल व आवश्यक उपचार नहीं प्राप्त हो पाता। मै चाहती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी के जिला मुख्यालय सीधी में एक सुपर स्पेसिलिटी व एक महिला अस्पताल की स्थापना की जाये जिसके फलस्वरूप मेरे संसदीय क्षेत्र वासियों को आवश्यक व तत्काल उपचार प्राप्त हो सके इस हेतु मै और मेरे संसदीय क्षेत्र वासी सदैव हमारी सरकार के आभारी रहेंगे।

(xii) Need to expand healthcare facilities in RIMS, Ranchi and upgrade it to AIIMS

श्री संजय सेठ (राँची): रिम्स अस्पताल, रांची की लाइफ लाइन है। इस पर सिर्फ झारखंड की राजधानी रांची ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की निर्भरता है। लोग सामान्य बीमारियों से लेकर आपात स्थिति तक इस अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं। सिर्फ झारखंड ही नहीं हमारे सीमावर्ती उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और बंगाल राज्यों से भी मरीज यहां आते हैं। झारखंड बने 22 साल हो गए, इस दौरान आबादी बढ़ी, इस अस्पताल पर दबाव बढ़ा परंतु उस अनुपात में अस्पताल में सुविधाएं नहीं बढ़ी। आज अस्पताल में संसाधनों की कमी के कारण कई बार लोग इलाज के अभाव में किसी और परिस्थिति का शिकार हो जाते हैं। राज्य की उम्मीदों के इस अस्पताल में, अब लोगों की उम्मीदें दम तोड़ रही है। लोग बीमारियों के उपचार के लिए दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। निजी अस्पतालों पर उनकी निर्भरता बढ़ रही है। आर्थिक रूप से हमारे नागरिक और भी समस्या ग्रस्त हो रहे हैं।

मेरा सरकार से आग्रह है कि यहां स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाए। मेडिकल की सीटें बढ़ाई जाए। इसे एम्स के रूप में अपग्रेड किया जाए ताकि रांची का गौरव और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा सके।

(xiii) Need to restore free ration given to poor people in the country

SHRI JASBIR SINGH GILL (KHADOOR SAHIB): The quantity of free ration given to poor in some districts has been reduced upto 35% but the number of cards are the same. Therefore, I urge the Government to restore back the earlier quota of free ration.

(xiv) Regarding grant of a minimum pension amount to Gramin Dak Sevaks

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR (TIRUCHIRAPPALLI): In the Postal Department, there were about three lakh Gramin Dak Sevaks serving with utmost sincerity and dedication in about 1.50 lakh villages with a meagre salary of Rs. 9,500/- by braving the unpleasant weather conditions. They got a meagre amount of only Rs.1.50 lakh as ex-gratia at the time of their retirement. With this meagre amount, they are struggling hard for their livelihood. At the age of 65 and that too after rendering three to four decades of service in the Postal Department, they are running from pillar to post for their genuine demands. Due to their old age, many of them are suffering from ill health and few of them have passed away. I personally feel that their demand for minimum pension is very genuine.

I shall, therefore, humbly urge upon the Hon'ble Minister of Communications to kindly to look into their case sympathetically and grant a minimum pension of Rs. 5,000/- p.m. on humanitarian grounds.

(xv) Regarding inclusion of pilgrim centres of Kerala in the PRASAD Scheme

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): The two world famous pilgrim centres of Kerala are the Cheraman Juma Mosque, Kodungallur and St Thomas International Shrine, Malayattoor. Both these pilgrim centres have been included under the Pilgrim Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive (PRASAD) Scheme of Government of India. The projects were:

1. Development of Cheraman Juma Mosque, Kodungallur, Thrissur, Kerala.
2. Development of St. Thomas International Shrine, Malayattor, Ernakulam, Kerala.

In last week of March 2022, Secretary, Department of Tourism has announced that the above 2 pilgrim centres are included in the PRASAD Scheme and official announcement will come by last week of April 2022 itself. As per the instruction of the officials of Central Tourism department, Government of Kerala have already completed the DPR of both the projects for the development of Cheraman Juma Masjid, Kodungallur and development of St. Thomas International Shrine, Malayattoor, and submitted the final Project Report to Government of India for inclusion in PRASAD Scheme. Now, the final DPR of the two projects for including the projects in the PRASAD Scheme is pending for financial sanction of the Ministry of Finance. Therefore, I request the Central Government to issue financial sanction to the above said projects under the PRASAD scheme without any further delay.

(xvi) Regarding development of river ghats on the bank of Ganga river

SHRI SUNIL KUMAR MONDAL (BARDHAMAN PURBA): I want to draw the kind attention of the Hon'ble Minister of Jal Shakti regarding 'Bathing Ghats' and Ferry Ghats on the Western Banks of River Bhaghirathi. On the other bank of the river the district Nadia, the birth place of 'Lord Chaitanya Mahaprabhu' is situated. Lord Chaitanya Mahaprabhu grew up in the area, the places are popularly known as Nabadwip, Mayapur, Shantipur (places famous for Lord Krishna's Rashyatra) and spent his early days in these places. The holy river, Ganga is worshipped by Hindu Community at large and lakhs of devotees take their Holy-dip everyday in the river. During festivals, the number of pilgrims rises. The ghats where people used to take their bath are conventional rural ghats in nature and the devotees face many difficulties to go inside the water. The process is very risky and minor/major accidents used to occur throughout the year. If the bathing ghats are constructed and the ghats are properly illuminated, it will certainly come for good use for the devotees and it will also create beautification of the river bank. So, I request the Government to make necessary arrangements to take up the development of river bank. Some places where such ghats be constructed immediately are Katwa, Kalna, Agradwip and Dainhat.

(xvii) Need to run trains from Supaul district, Bihar to Patna and Delhi and also start train service from Lalitgram to Forbesganj in the State

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): मिथिलांचल तथा कोशी प्रमंडल को जोड़ने के लिए 86 वर्षों के बाद कोशी ब्रिज पर रेल परिचालन लगभग दो वर्ष पूर्व ही प्रारम्भ हो चुका है किन्तु आज तक इस जिलावासियों को राज्य की राजधानी पटना तथा भारत की राजधानी दिल्ली या देश के अन्य भागों में रेल सेवा द्वारा जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। अत: जनहित में सुपौल जिला (पू० म० रे०.) से कम से कम एक ट्रेन पटना तथा एक ट्रेन का परिचालन दिल्ली की लिए किया जाये।

पूर्व मध्य रेलवे के ललितग्राम से फारबिसगंज तक का सी० आर० एस० के द्वारा निरिक्षण पूरा कर लिया गया है परन्तु अभी तक रेल यातायात का परिचालन नहीं हुआ है मामला रेलवे बोर्ड में लंबित है अत: आग्रह है की जनहित मे यथा शीघ्र ललितग्राम से फारबिसगंज तक रेल यातायात का परिचालन शुरू किया जाये।

(xviii) Need to resolve the problem of water logging in Khagaria Parliamentary Constituency caused by floods in Kosi and other rivers

चौधरी महबूब अली कैसर (खगड़िया): मेरा लोकसभा क्षेत्र खगड़िया उत्तर बिहार के सबसे बाढ़ ग्रस्त इलाकों में से एक है यहां से बिहार का अभिशाप कहीं जाने वाली कोसी नदी के अलावा छह अन्य विशाल नदियां गुजरती है। मैं भारत सरकार का ध्यान खगड़िया लोकसभा की सबसे बड़ी एवं अत्यंत गंभीर समस्या जलजमाव की ओर दिलाना चाहता हूं। खगड़िया लोकसभा में प्रत्येक वर्ष बाढ़ की अतिवृष्टि इलाके में कटाव के साथ-साथ भयंकर बीमारियां लाती है। बाढ़ की स्थिति खत्म होने के बाद भी हजारों एकड़ में बाढ़ का पानी का जमाव लगा रहता है जिससे किसान उन जमीनों पर खेती नहीं कर पाते हैं। जबकि हमारा क्षेत्र मक्का उत्पादन में एशिया में अव्वल रहता है। उन जमीनों पर खेती नहीं कर पाने की वजह किसानों को काफी हानि होती है। अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इन किसानों के दुख को देखते हुए कोई ठोस कदम उठाते हुए एक परियोजना बनाई जाए जिससे मेरे लोकसभा अंतर्गत परबत्ता, बेलदौर खगड़िया, अलौली हसनपुर एवं सिमरी बख्तियारपुर सभी विधानसभा के किसानों को जल जमाव की समस्या से निजात मिले जिससे भारत की रीढ़ कहे जाने वाले किसान चैन की सांस ले सके।

(xix) Regarding development of certain villages under Saansad Adarsh Gram Yojana Scheme in Ramananthapuram

SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM): I shortlisted and submitted the proposal for development of Periyapattinam, Vaalinokkam and Chandirakottai villages in my Ramanathapuram Constituency under Saansad Adarsh Gram Yojana Scheme. But quite unfortunately, no development activities have been initiated for the recommended villages by the Government. What are the initiatives taken up to develop the villages suggested under this Scheme? We are recommending certain villages to be developed under this Scheme but no clarity on the benefits of this Scheme and reasons for delay in implementing have been listed. I organized special camp at Tirupullani Panchayat Union and Periyapattinam Panchayat Union coming under Ramanathapuram Constituency to receive the petition from the residents and validated it with Assistant Engineers for 19 essential requirements and forwarded the proposal for the approval of the same. But till date no further progress has been made on the proposal. If a recommended proposal has not been given due consideration then why such schemes have been announced and why funds are allocated. So, I kindly request this Government to ensure to make the scheme fully functioning and allot adequate funds and disburse funds for the successful implementation of this Scheme for the betterment of the undeveloped villages.

16.07 hrs

FINANCE BILL, 2023*

Amendment made by Rajya Sabha

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 13 (ए), माननीय मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि वित्त विधेयक, 2023 में राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए संशोधन पर विचार किया जाए।

… (व्यवधान)

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam, I rise to move:

1. that the following amendment recommended by Rajya Sabha in the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2023-2024, be taken into consideration:–

Clause 174

1. That at page 67, *for* lines 43 and 44, the following be *substituted*, namely:-

"(i) against entry (a), in column (3), for the figures and words "0.05 per cent.", the figures and words "0.0625 per cent." shall be substituted; and".

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"(क)" कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया

* The Bill was passed by Lok Sabha on the 24th March, 2023 and transmitted to Rajya Sabha on the same day. Rajya Sabha returned the Bill with recommendation on 27th March, 2023, which was laid on the Table of Lok Sabha on the same day.

जाए।

खंड 174

1. कि पृष्ठ 87 पर, पंक्ति 8 और 9 के स्थान पर,

निम्नलिखित रखा जाए अर्थात्:-

" (एक) प्रविष्टि (क) के सामने, स्तंभ (3) में, " 0.05

प्रतिशत " अंकों और शब्दों के स्थान पर "0.0625 प्रतिशत "

अंक और शब्द रखे जाएं; और "

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय सभापति: अब मैं राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए संशोधन को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

खंड 174

कि पृष्ठ 87 पर, पंक्ति 8 और 9 के स्थान पर,

निम्नलिखित रखा जाए अर्थात्:-

" (एक) प्रविष्टि (क) के सामने, स्तंभ (3) में, " 0.05

प्रतिशत " अंकों और शब्दों के स्थान पर "0.0625 प्रतिशत"

अंक और शब्द रखे जाएं; और "

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय सभापति: माननीय मंत्री महोदय अब प्रस्ताव करेंगे कि लोक सभा द्वारा यथा पारित, वित्त विधेयक, 2023 में राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए संशोधन को स्वीकृत किया जाए।

… (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, I rise to move:

"That the amendment recommended by Rajya Sabha in the Finance Bill be accepted."

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि वित्त विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन को स्वीकृत किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 28 मार्च, 2023 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

16.09 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, March 28, 2023/Chaitra 07, 1945 (Saka).

———

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business
in Lok Sabha (Sixteenth Edition)